



प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रधान सहायक अंचल न्यायालय
पाकुड़ अंचल
आधिकृत १८७७ के अधिनियम (एफ)
के अधिनियम ७८ के अन्तर्गत

दाखिल-खारिज जाँच प्रतिवेदन प्रपत्र

जिला-पाकुड़ अनुमंडल-पाकुड़ अंचल-पाकुड़
हल्का सं०- 5A थाना सं०- 128 ग्राम का नाम- 4158
हस्तान्तरण की गयी भूमि का क्षेत्रफल- 00-01-10 हस्तान्तरण प्रकार- दि० 20/11/14
निबंधन सं०- 1923 निबंधन तिथि- 04/06/14 मूल्य- 4,55,000/-

दाखिल-खारिज के पूर्व का खाता

जमाबंदी रैयत का नाम/पिता/पति का नाम एवं पता	खाता सं०	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल			सलाना लगान	अभ्युक्ति
			बिघा	कट्टा	धुर		
1	2	3	4			5	6
अतुल नारायण पिता अक्षय कुमार सिंघा 4158	484	1395 1396	10	1	04	5.35	610

दाखिल-खारिज के बाद का खाता

जमाबंदी रैयत का नाम/पिता/पति का नाम एवं पता	खाता सं०	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल			सलाना लगान	अभ्युक्ति
			बिघा	कट्टा	धुर		
1	2	3	4			5	6
लक्ष्मी देवी 4158	484	1395 1396	09	18	14	5.15	610

नामांतरण होने वाली भूमि का विवरणी

जमाबंदी रैयत का नाम/पिता/पति का नाम एवं पता	खाता सं०	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल			सलाना लगान	अभ्युक्ति
			बिघा	कट्टा	धुर		
1	2	3	4			5	6
प्रथम पक्ष - श्री मोहन लाल शर्मा द्वितीय पक्ष - श्री श्री अंजली श्री श्री अंजली	484	1396	00	01	10	0.20	

साथ उत्तरदाता

- (1) पंजी- 11 के रैयत का नाम :- अतुल नारायण
- (2) खतियानी रैयत का नाम :- रामापति उपाध्याय पिता अतुल चन्द्र उपाध्याय



(3) खतियान के आधार पर मौजा विक्रयशील है अथवा नहीं? किछु भीक

(4) विक्रेता द्वारा भूमि बिक्री की अनुमति प्राप्त की गयी है अथवा नहीं? —

(5) विक्रेता आदिवासी है अथवा गैर-आदिवासी? गैर आदिवासी

(6) खतियानी रैयत से पंजी- II के रैयत का संबंध :- बंदी सम्बन्धी।

(7) विक्रेता का जमाबंदी रैयत से संबंध :- बेअन।

(8) विक्रेता ने क्या अपने हिस्से की भूमि बिक्री की है? हाँ।

(9) क्या विक्रेता का आवेदित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल था? हाँ।

(10) भूमि पर क्रेता के दखल का स्वरूप :- शांतिपूर्ण।

(11) क्या आवेदित भूमि/जंगल झाड़ी/गोचर है? नहीं।

(12) क्या आवेदित भूमि गैर-मजरूआ खास/आम/कैसरे हिन्द/भू हदबंदी/लीज/अर्जित/विभागीय है? नहीं।

(13) विक्रयशील का आधार खतियान में दर्ज है या नहीं है? नहीं।

(14) भूमि का वर्तमान स्वरूप (यथा नदी, नाला, सड़क, पहाड़ उपजाऊ आदि) - खाली जमीन।

(15) हल्का कर्मचारी का मन्तव्य :- मन्तव्य, जौआ पाकुड़ 128 05 विक्रयशील मौजा है। आवेदित भूमि पर दखल अस्तित्व में नहीं है। विक्रेता जमाबंदी रैयत से घर, पत्ता, कुतरे हैं जो कुतरे पाक। कदम 12/1/1973 द्वारा विक्रय किया है। आवेदित भूमि पर दखल - नहीं। संव 1972 से कुतरे आवेदित भूमि पर दखल नहीं है। डा. सुभाष किताब का सुपरीपंचन कम कायम न होना कुतरे के नाम से नामांकित किया जा रहा है।

(16) अंचल निरीक्षक की स्पष्ट अनुशंसा :-

मन्तव्य
 यह पत्र के जौन प्रविष्टन से आयाल पर
 पंजी II के मिलान किया वपी वी कोष पर
 किताब संजको से सुपरीपंचन कर कायम
 जो लो से नामांकन की लोषी वी जाली
 है।



प्रमाणित प्रतिलिपि
 प्रधान सहायक अंचल कार्यालय
 पाकुड़ अंचल
 अधिकृत 9-1-77 के अधिनियम (एफ)
 के अधिनियम 7-1-77 के अन्तर्गत



सरकार म महारा इस्टी के आभधारत के नामान्तरण से संबोधत शुद्धपत्र

क्रम सं०	पंजी 27 का नामांतरण क्रमांक	नामांतरण से संबद्ध का पूर्ण ब्यौरा				नामांतरण मंजूर करने वाला प्राधिकार एवं आदेश तिथि	नामांतरण से प्रभावित विनियम का पूर्ण ब्यौरा	नामांतरण के बाद ह०क० द्वारा कायम की गई तथा शुद्धिकरण की तिथि	अभियुक्ति
		मौजा का नाम	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा				
		पाइड 128	484 1396 20-04-10	610 0-20	5000/10	1993	विक्रेता पक्ष : श्री 3112-5 श्री 10 आर 195 6000m पोल नो 610 मयुद्ध 3200 2639 412 22 510 2011 2639 2500 आकृत प्रमाण पोल डि-5 सुमन अवेरगंटर क्रेता पक्ष : श्री 3112-5 नो 30102 पोल पे 0 2111 नं 101 610-1011111 2011 2111 1111		
						प्रमाणित प्रतिलिपि			
						प्रधान सचिव अंचल कार्यालय आंध्र प्रदेश 9507 के अधिनियम (एक) के अधिनियम 95 के अन्तर्गत			



प्रतिलिपि : हल्का कर्मचारी, हल्का नं० को अनुपालनार्थ प्रेषित

अंचल अधिकारी
पाकुड़।



कार्यालय अंचल अधिकारी, पाकुड़

नोटीस बनाम सोलह आना देयल

साठ पाकुड़ थाना पाकुड़ जिला पाकुड़

यू वजरीए इस नोटिस के द्वारा आगाह किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका मोहन मोरिखर अंसायी पिता/प्रति करीम अंसायी के द्वारा नामांतरण हेतु आवेदित भूमि के दावा के संबंध में सुनवाई दिनांक 01/8/14 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में की जाएगी। आपत्ति पत्र निर्धारित तिथि व समय पर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा। इसे ताकिद जानें।

अंचल अधिकारी
पाकुड़
24/8/14

भूमि की विवरणी

मौजा पाकुड़ जमाबंदी/खाता नं० 484 दाग/प्लॉट नं० 1396 रकवा 00-01-10



प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रधान सहायक अंचल कार्यालय
पाकुड़ अंचल
अधिकृत 9-1-79 के अधिनियम (एफ)
के अधिनियम 7-2 के अन्तर्गत



1) प्रजाब मण्डल

2) मान जार अनी

3) Suresh kumar

4) अनिल कुठ चौधरी

5) Anil Kumar

6) विमला पावस

नोटीस का लामिल प्रिया कपा
कामकुल अरि



प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रधान अध्येक्षक अंचल कार्यालय
पाकुड़ अंचल
अधिकृत 9200 के अधिनियम (एफ)
के अधिनियम 02 के अन्तर्गत



सेवा में,
 अंचल अधिकारी,
 पाकुड़।
 विषय :- नामांतरण के संबंध में।

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रधान सहायक अंचल कार्यालय
 पाकुड़ अंचल
 अधिनियम 1979 के अधिनियम (एफ)
 के अधिनियम 94 के अन्तर्गत

महाशय,
 सादर निवेदन करना है। कि निम्नलिखित विवरणी की
 भूमि क्रयपत्र / दानपत्र / वसीयतनामा / बंटननामा स्वत्ववाद
 सं० 1973 दिनांक 4/6/014 के द्वारा प्राप्त
 कर में शांतिपूर्वक दखलकार हूँ

मौजा	थाना नं०	जमाबंदी नं०	दाग नं०	रकवा
पाकुड़	128	484	1396	00-01-10

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त भूमि का नामांतरण स्वीकृत कर सरकारी लगान-रसीद निर्गत करने की कृपा की जाए।



विश्वासभाजन

अनुलग्नक :

Md. Motehik Ansari



विवरण	सं०	₹०
दरखास्त शुल्क- 6.50x1	6.	50
अनुसंधान शुल्क- 10.50x6	63.	00
अन्य शुल्क- 2.40x6	13.	20
फोलियो-		
सादा कागज-		
नक्शा शुल्क-		
नकल शुल्क-		
अन्य शुल्क-		
पृष्ठों की संख्या-		
योग	82.	70
रुपया (शब्दों में)	अठ्ठावन सौ पचास	
मात्र	सत्तना सिपिक, अंचल कार्यालय पाकुड़	
	जिला - पाकुड़ (झारखण्ड)	

अठ्ठावन सौ पचास





(1799)

11-7-18
12-7-18

14-फारम सं० 562

आदेश फलक

(देखे अभिलेखहस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक : ता० से तक

अंचल :- पाकुड़ (सदर), जिला - पाकुड़

वार्ड नं०..... 534...../2014-15..... वार्ड का प्रकार : नामांतरण

आदेश की क्र० सं० और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के संबंध में टिप्पणी तारीख सहित
17/7/14	<p>आवेदक/आवेदिका राजिन्द्र खान पति/पति सोनू मोहन खान सा० 1022161 थाना 128 जिला 484 ने नामांतरण हेतु निम्नलिखित विवरणी की भूमि का आवेदन-पत्र समर्पित किया है :- मौजा थाना सं० जमाबंदी/खाता दाग/प्लॉट नं० रकवा पाकुड़ 128 484 1396 00-01-10</p>	<p>आदेश पर की गई कारवाई के संबंध में टिप्पणी तारीख सहित</p>
24/7/14	<p>उपर्युक्त विवरणी की भूमि के नामांतरण के संबंध में हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 24/7/14 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, पाकुड़।</p>	<p>अंचल कार्यालय पाकुड़ जिला-पाकुड़ (आरखण्ड)</p>
01/8/14	<p>अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध हैं। जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। सोलह आना रैयत को आपत्ति हेतु सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 01/8/14 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, पाकुड़।</p>	<p>प्रमाणित प्रतिलिपि अधिकांक अंचल कार्यालय पाकुड़ अंचल अधिकृत 9509 के अधिनियम (एफ) के अधिनियम 95 के अन्तर्गत</p>
7/8/14	<p>अभिलेख उपस्थापित। सोलह आना रैयत को निर्गत नोटिस का तामिला अभिलेखबद्ध हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति पत्र प्राप्त नहीं हैं। अभिलेख आदेश हेतु दिनांक 7/8/14 को रखें। अंचल अधिकारी, पाकुड़।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेखबद्ध हैं। इन्होंने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि निबंधित क्रयपत्र/दानपत्र/वसीयतनामा/स्वत्ववाद सं० बंटननामा 1974 दिनांक 4/6/14 के द्वारा प्राप्त कर आवेदक जमीन के दखलदार हैं। आवेदित भूमि चालू पंजी-11 में होल्डींग नं० 610/120 के पृष्ठ पर के नाम से दर्ज है, जो वर्तमान विक्रेता के द्वारा प्राप्त हैं। आवेदित भूमि खतियान के अनुसार रैयती हैं तथा विक्रयशील हैं। भूमि, भू-दान, भू-हथबंदी, सैरात, गैर मजूरुआ, आम</p>	



आदेश पर आदेशदाता का हस्ताक्षर

आदेश की क्र० सं० और तिथि

आदेश पर की गई कारवाई के संबंध में टिप्पणी तारीख सहित

खास, गौचर, केशर हिन्दु तथा सार्वजनिक/सरकारी उपक्रम के अधिग्रहण से मुक्त हैं। इन्होंने यह भी प्रतिवेदन किया है कि प्रासंगिक भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है इसलिए नामांतरण की अनुशंसा किया है।

अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आलोक में लगान वसूली की दृष्टिकोण से आवेदित भूमि मौजा ५१३५ के खाता सं० ४४६ दाग सं० १३९६ के रकवा ००-०१-१० के नामांतरण किया जाता है, जिसका लगान ०.२० रुपये अलावे शेष होगा। जमीन की विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :-

मौजा	थाना सं०	जमाबंदी सं०	दाग सं०	रकवा	लगान
५१३५	१२८	५४५	१३९६	००-०१-१०	०.२०

तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें तथा हल्का कर्मचारी से अनुपालन प्रतिवेदन की माँग करें।

अंचल अधिकारी,
पाकुड़।

अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी के द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त हैं। अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

अंचल अधिकारी,
पाकुड़।



प्रमाणित प्रतिलिपि

महानगर सहायक अंचल कार्यालय
पाकुड़ अंचल
अधिकृत १८७७ के अधिनियम (एफ)
के अधिनियम ७८ के अन्तर्गत



प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रमाणित सहायक अंचल कार्यालय
पाकुड़ अंचल
आधिकृत १९७७ के अधिनियम (एफ)
के अधिनियम ७८ के अन्तर्गत

दाखिल-खारिज जाँच प्रतिवेदन प्रपत्र

जिला-पाकुड़	अनुमंडल-पाकुड़	अंचल-पाकुड़
हल्का सं०- 5A	थाना सं०- 128	ग्राम का नाम- 4158
हस्तान्तरण की गयी भूमि का क्षेत्रफल- 00-01-10		हस्तान्तरण प्रकार- विधुय देवता
निबंधन सं०- 1924	निबंधन तिथि- 04.06.14	मूल्य- 4,55,000/-

दाखिल-खारिज के पूर्व का खाता

जमाबंदी रैयत का नाम/पिता/पति का नाम एवं पता	खाता सं०	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल			सलाना लगान	अभ्युक्ति
			बिघा	कट्टा	धुर		
1	2	3	4			5	6
जैतुन नेशा कीवी पिता & हिमवन्त मिर्जा साठ पाकुड़	484	1395 1396	07-14-18 2-07-16 10-02-14			5.55	610

दाखिल-खारिज के बाद का खाता

जमाबंदी रैयत का नाम/पिता/पति का नाम एवं पता	खाता सं०	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल			सलाना लगान	अभ्युक्ति
			बिघा	कट्टा	धुर		
1	2	3	4			5	6
रमेश Mons Panchkula	484	1395 1396	07-14-18 02-06-06 10-01-04			5.35	610

नामांतरण होने वाली भूमि का विवरणी

जमाबंदी रैयत का नाम/पिता/पति का नाम एवं पता	खाता सं०	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल			सलाना लगान	अभ्युक्ति
			बिघा	कट्टा	धुर		
1	2	3	4			5	6
प्रथम पक्ष - श्री श्री गुरुजी नेशा (दिल्ली) श्री आरिफ इमरान नेशा (दिल्ली) श्री रामलाल (दिल्ली) श्री अजय श्री अशोक (दिल्ली) श्री अशोक द्वितीय पक्ष - श्री अशोक (दिल्ली) श्री अशोक (दिल्ली) श्री अशोक	484	1396	00-01-10			0.20	

- (1) पंजी- II के रैयत का नाम :- जैतुन नेशा कीवी
- (2) खतियानी रैयत का नाम :- रामलाल उपाध्याय पिता अतुल चन्द्र उपाध्याय



- (3) खतियान के आधार पर मौजा विक्रयशील है अथवा नहीं ? विक्रयशील ।
- (4) विक्रेता द्वारा भूमि विक्री की अनुमति प्राप्त की गयी है अथवा नहीं ? —
- (5) विक्रेता आदिवासी है अथवा गैर-आदिवासी ? गैर आदिवासी ।
- (6) खतियानी रैयत से पंजी- ॥ के रैयत का संबंध :- ठाई (अथवा नदी) ।
- (7) विक्रेता का जमाबंदी रैयत से संबंध :- वंध ।
- (8) विक्रेता ने क्या अपने हिस्से की भूमि विक्री की है ? हाँ ।
- (9) क्या विक्रेता का आवेदित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल था ? हाँ ।
- (10) भूमि पर क्रेता के दखल का स्वरूप :- मोबदली ।
- (11) क्या आवेदित भूमि/जंगल झाड़ी/गोबर है ? नहीं ।
- (12) क्या आवेदित भूमि गैर-मजरूआ खास/आम/कैसरे हिन्द/भू हदबंदी/लीज/अर्जित/विभागीय है ? नहीं ।
- (13) विक्रयशील का आधार खतियान में दर्ज है या नहीं है ? नहीं ।
- (14) भूमि का वर्तमान स्वरूप (यथा नदी, नाला, सड़क, पहाड़ उपजाऊ आदि) - धानी कापोडा
- (15) हल्का कर्मचारी का मन्तव्य :- मन्तव्य, मौजा पाकुड़ १२४ ७७ विक्रयशील मौजा है जो १९३५ के अनुसूची में है। विक्रेता जमाबंदी रूप में है, जो १९३५ के अनुसूची में है जो जमाबंदी रूप में है। विक्रेता जमाबंदी रूप में है, जो १९३५ के अनुसूची में है जो जमाबंदी रूप में है। विक्रेता जमाबंदी रूप में है, जो १९३५ के अनुसूची में है जो जमाबंदी रूप में है।
- (16) अंचल निरीक्षक की स्पष्ट अनुशांसा :-



प्रमाणित प्रतिलिपि
 प्रमाणित प्रतिलिपि अंचल कार्यालय
 पाकुड़ अंचल
 अधिकृत १८७७ के अधिनियम (एफ)
 के अधिनियम ७८ के अन्तर्गत

मन्तव्य
 यह प्रमाणित प्रतिलिपि के माध्यम से
 ५८ नंबर के आदेश के अंतर्गत से प्रमाणित
 अंतर आदेशों में से नों नों नों नों
 से प्रमाणित की जा सकती है।

सरकार में निहित इस्टेटों के अभिधारित के नामान्तरण से संबंधित शुद्धिपत्र

क्रम सं०	पंजी 27 का नामान्तरण क्रमांक	मौजा का नाम	नामान्तरण से संबंध का पूर्ण ब्यौरा			नामान्तरण का आधार	नामान्तरण मंजूर करने वाला प्राधिकार एवं आदेश तिथि	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूर्ण ब्यौरा	नामान्तरण के बाद ह०क० द्वारा कायम की गई तथा शुद्धिकरण की तिथि	अभियुक्ति
			खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा नं०					
	534 1445	बाढ़ 128	484	1256	1256	610	0.20	वि० द्विगुण 1984 1/6/114	विक्रेता पक्ष : 1) म० ओ० इ० इ० 2) आ० ए० ए० ए० 3) म० ए० ए० ए० 4) आ० ए० ए० ए० क्रेता पक्ष : 1) म० ए० ए० ए० 2) आ० ए० ए० ए० 3) म० ए० ए० ए० 4) आ० ए० ए० ए०	
								प्रमाणित प्रतिलिपि पञ्चान सहायक अचल कायम अधिकृत 9299 के अधिनियम (एक) के अधिनियम 92 के अन्तर्गत		



प्रतिलिपि : हल्का कर्मचारी, हल्का नं० SA को अनुपालनार्थ प्रेषित
अचल अधिकारी पाकुड़।





कार्यालय अंचल अधिकारी, पाकुड़

नोटीस बनाम सोलु झाणा देवो

सा० ५१७९ थाना पाकुड़ जिला पाकुड़

यू वजरीए इस नोटिस के द्वारा आगाह किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका शक्ति खातून पिता/पति मो. मो. देवो अंशारी के द्वारा नामांतरण हेतु आवेदित भूमि के दावा के संबंध में सुनवाई दिनांक ०१/११/१५ को ११:०० बजे पूर्वाह्न में की जाएगी। आपत्ति पत्र निर्धारित तिथि व समय पर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा। इसे ताकिद जानें।

भूमि की विवरणी

अंचल अधिकारी

पाकुड़

[Handwritten Signature]

मौजा

जमाबंदी/खाता नं०

दाग/प्लॉट नं०

रकबा

५१७९
१२४

५४५

१३९६

००-०१-१०



प्रमाणित प्रतिलिपि

[Handwritten Signature]
प्रधान सहायक अंचल कार्यालय
पाकुड़ अंचल
अधिकृत १८७७ के अधिनियम (एफ)
के अधिनियम ७८ के अन्तर्गत



1

पानपल ०१८

2 Amir Hamza

3 अमिर हली

4 लखित लेख

5 AMIT KUMAR JHA

नॉटिस क सम्बन्धित विषय में
प्रामाणिक रूप से



प्रमाणित प्रतिलिपि

(Handwritten signature in red ink)
प्रधान सहायक अंचल कोषालय
पानकुड़ अंचल
अधिकृत १८७७ के अधिनियम (एफ)
के अधिनियम ७८ के अन्तर्गत



सेवा में,
अंचल अधिकारी,
पाकुड़।
विषय :- नामांतरण के संबंध में।

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रधान सहायक अंचल कार्यालय
पाकुड़ अंचल
अधिकृत १८७७ के अधिनियम (एफ)
के अधिनियम ७८ के अन्तर्गत

महाशय,

सादर निवेदन करना है। कि निम्नलिखित विवरणी की
भूमि क्रयपत्र / दानपत्र / वसीयतनामा / बंटननामा स्वत्ववाद
सं० १९७५ दिनांक ५/६/०१५ के द्वारा प्राप्त
कर मैं शांतिपूर्वक दखलकार हूँ

मौजा	थाना नं०	जमाबंदी नं०	दाग नं०	रकवा
पाकुड़	१२४	५४५	१३१६	००-०१-१०



अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त भूमि का
नामांतरण स्वीकृत कर सरकारी लगान-रसीद निर्गत करने की
कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

रजिषा खातुम

अनुलग्नक :